अध्याय VIII: खनन मंत्रालय

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

8.1 अभावपूर्ण ठेका शर्त के कारण परिहार्य व्यय

कंपनी ने ठेकेदार द्वारा अपेक्षित उपकरण लगाने के लिये ठेके में उचित शर्त शामिल नहीं की जिसके लिये दर निर्धारित की गई थीं जिसके कारण ₹11.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) प्रत्यक्ष रूप से एकीकृत कॉपर उत्पादक कंपनी है। लेखापरीक्षा ने खनन संबंधित गतिविधियों के लिये 2014-17 के दौरान कंपनी द्वारा प्रदान किये गये ठेकों की समीक्षा की और दो मामले देखे जहां कंपनी ठेकेदार द्वारा नये उपकरण लगाना सुनिश्चित करने में विफल रही, यद्यपि यह परस्पर रूप से सहमत था। प्रक्रिया में, कंपनी ने कार्य के लिये उच्च प्रभार का भुगतान किया।

क. 45 एलबीसीएम की लोडिंग और हॉलिंग हेतु उपकरण किराये पर लेना

कंपनी ने मलांजखंड कॉपर परियोजना (एमसीपी) पर 45 लाख बैंक क्यूबिक मीटर (एलबीसीएम) अरॉक की लोडिंग और हॉलिंग के लिये उपकरण किराये पर लेने के लिये निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) निकाला (जनवरी 2014)। न्यूनतम दर मैसर्स आर के ट्रांसपोर्ट कंपनी (आरकेटी) द्वारा प्रदान की गई थी (₹400 प्रति बीसीएम)।

चूंकि दर विभागीय अनुमान (₹321.35 प्रति बीसीएम), से अधिक थी कंपनी ने पार्टी के साथ विचार विमर्श किया। आरकेटी ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि उनके द्वारा प्रदान की गई दर उच्च थी क्योंकि विभागीय अनुमान में ध्यान में रखे गये 2010 में बने उपकरण के बजाय 2014 में बने नये लोडिंग और हॉलिंग उपकरण और उससे संबंधित बीमा लागत अधिक थी। यह बताया गया कि 2014 में बने उपकरण लगाने से खदान के निचले भाग में कार्य करते समय स्थिर पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, आरकेटी ने सूचित किया कि उच्च उद्धृत दरों के कारण, कार्य करने के लिये उच्च रूप से कुशल कर्मचारी लगाये जायेंगे।

निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने भी नये निर्मित (2010 में निर्मित की जगह 2014 में निर्मित) उपकरण और उच्च रूप से कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति के आधार पर आरकेटी द्वारा प्रदान की गई उच्च दरों को तर्कसंगत बताया। टीईसी ने आकलन किया कि 2014

में निर्मित उपकरण लागने के कारण ₹49.91 प्रति बीसीएम और उच्च रूप से कुशल कर्मचारियों की तैनाती के लिये ₹2.45 प्रति बीसीएम लागत बढ़ेगी।

बाद में, आरकेटी ₹397 प्रति बीसीए की अपनी उद्धृत दर को कम करने हेतु सहमत हुआ (मार्च 2014) और कपंनी ने 37 माह की निर्धारित पूर्णत: अवधि सहित ₹178.65 करोड़ के कुल मूल्य के लिये ₹397 प्रति बीसीएम पर आरकेटी को उपरोक्त कार्य के लिये आशय पत्र जारी किया (मई 2014)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने उपरोक्त कार्य के लिय उच्च रूप से कुशल कार्मिको को लगाने और 2014 निर्मित उपकरण लगाना सुनिश्चित करने के लिये आरकेटी के साथ किये गये करार में (जून 2014) उचित शर्तें शामिल नहीं की। यह भी देखा गया कि उपरोक्त कार्य हेतु आरकेटी द्वारा लगाये गये 12 डंपर्स और तीन खुदाई मशीनों में से, छह डंपर्स और एक खुदाई मशीन 2010 निर्मित थी, शेष 2014 निर्मित थी। तथापि कंपनी, ने ठेकदार द्वारा पुराने निर्मित उपकरण लगाये जाने को ध्यान में नहीं रखा और सहमत ठेका दर पर आरकेटी को भुगतान किया।

इस प्रकार, कंपनी ने सहमत 2014 निर्मित उपकरण के प्रति 2010 निर्मित उपकरण लगाने के लिये दर में अंतर को ध्यान में रखते हुये, आरकेटी को ₹23.29 प्रति बीसीएम[1] का अधिक भुगतान किया, जो जून 2017 तक 38.07 एलबीसीएम के निष्पादन के लिये ₹8.87 करोड़[2] का अधिक भुगतान था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि अत्याधिक कुशल कार्मिको की तैनाती हेतु आरकेटी के साथ करार में उचित शर्तों के न होने के कारण, कंपनी उनकी तैनाती सुनिश्चित नहीं कर सकी यद्यपि ऐसी स्थिति के लिये उच्च दर पर सहमति हुई थी।

ख. 30 एलबीसीएम की लोडिंग और हॉलिंग के लिये उपकरण को किराये पर लेना

30 एलबीसीएम की लोडिंग और हॉलिंग के लिये उपकरण किराये पर लेने के लिये कंपनी द्वारा जारी एनआईटी की प्रतिक्रिया में, आरकेटी ₹460 प्रति बीसीएम की दर सहित न्यूनतम बोलीदाता के रूप में सामने आया। आरकेटी के साथ विचार-विमर्श करने पर, दर को ₹414 प्रति बीसीएम तक कम कर दिया था और जनवरी 2016 में कार्य के लिये करार किया गया था।

---

[1] *₹23.29 = ₹(49.91*7/15)*

[2] *₹23.29 * 3807453 = ₹88675580*

लेखापरीक्षा ने देखा कि करार की शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि आरकेटी द्वारा लगाये गये सभी उपकरण 2012 निर्मित से पुराने नहीं होने चाहिये। यह देखा गया कि उपरोक्त कार्य हेतु आरकेटी द्वारा लगाये गये 15 लोडिंग और हॉलिंग उपकरण में से 40 *प्रतिशत* उपकरण (छह) 2009 निर्मित थे। तथापि, कंपनी ने उपकरण के सहमत मेक से पुराने उपकरण लगाने पर ध्यान दिये बिना ₹414 प्रति बीसीएम की सहमत दर पर आरकेटी को पूर्ण भुगतान किया। इस प्रकार, कंपनी ने आरकेटी को ₹19.96 प्रति बीसीएम[3] का अधिक भुगतान किया, जिसके कारण अप्रैल 2017 तक ₹3 करोड़[4] अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2018) कि आरकेटी ने शुरू में 30 एलबीसीएम कार्य के लिये 2009 निर्मित और 45 एलबीसीएम कार्य के लिये 2010 निर्मित कुछ उपकरण लगाये क्योंकि कम संभावित समय में उत्पादन शुरू करने की तात्कालिकता थी और क्योंकि भारी मशीनरियों जैसे डंपर और खुदाई मशीनो की खरीद की अपनी समय-सीमा है। क्योंकि वो बाजार में शीघ्र उपलब्ध नहीं होती। प्रबंधन ने यह भी कहा कि आरकेटी का निष्पादन दोनों कार्यों में संतोषजनक और निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

प्रबधंन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कंपनी ने नये निर्मित (2014 निर्मित) उपकरण लगाने के आश्वासन पर 45 एलबीसीएम कार्य के लिये उच्च दरें स्वीकार की यद्यपि वो यह ठेके में शामिल करने में विफल रहा। 30 एलबीसीएम कार्य के लिये करार में उपकरण का नया मेक (2012 या बाद में निर्मित) लगाने के लिये विशेष शर्त शामिल की। फिर भी, दोनों मामलों में, ठेकदार ने पुराने निर्मित उपकरण लगाये और यह जानने के बावजूद कि लगाये गये उपकरण सहमत विशेष्ताओं के अनुसार नहीं थे, कंपनी ने उच्च दरों का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का तर्क कि शुरू में आरकेटी ने 2010 के कुछ डंपर लगाये तथ्य को साबित नहीं करता है क्योंकि इन मशीनों का पूर्ण ठेका अवधि के दौरान प्रयोग किया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित उपकरण लगाने के लिये ठेकों में उचित शर्तें शामिल नहीं की जिसके लिये दर निर्धारित की गई थी; परिणामस्वरूप ₹11.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामले को जनवरी 2018 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

---

[3] ***₹19.96= ₹(49.91*6/15) 2014 की तुलना में 2010 के तैनाती उपकरणों की अंतर लागत को ध्यान में रखते हुए।***

[4] ***₹19.96 * 1504530.219 = ₹30030418***